# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 56/18 GCMS NO 2018/00130

1. हरि
2. सरमी
3. जलधारी पुत्रान कलुआ जातियान मीना निवासीयान करसाई तहसील व जिला करौली
4. जेमन बाई पत्नि कलुआ जाति मीना निवासी करसाई तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील करौली जरिये राज्य सरकार एवं रिसिवर
2. ठाकुरजी श्री महोदवजी व हनुमान जी विराजमान मंदिर वमुकाम करसाई तहसील व जिला करौली
3. फुलचंद पुत्र लौहरे जाति मीना (फौत)
4. हल्ली पुत्र लौहरे जाति मीना (फौत)
5. मूला पुत्र मंगल जाति मीना (फौत)
6. कल्याण पुत्र किशन जाति गुर्जर(फौत)
7. जगन पुत्र गोविन्द जाति गुर्जर (फौत)
8. रामप्रसाद पुत्र उँकार जाति ब्राहम्ण (फौत)

(3 से 8) हजफ

9. रतन पुत्र गंगाधर जाति ब्राहम्ण निवासी करसाई तहसील व जिला करौली

रेस्पो0

**(अपील विरूद्व मु0नं0 470/08 निर्णय व डिकी दिनांक 29.8.17 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली)**

अभिभाषक अपीला0 श्री विष्णु चंद बंसल।
अभिभाषक रेस्पो0 कोई उपस्थित नही।

दिनांक 13.11.2024

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 29.8.17 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र धारा 90, 91 एवं 183 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 1213, 1214, 1214/1458 वाके ग्राम ग्राम करसाई तहसील करौली मे स्थित है। जिस पर वादीगण स्वयं साबिक खातेदार [illegible] 2010 से काश्त करते चले आ रहे है। भूमि का जगन्नाथ गिरी चैला भगवान गिरी [illegible]। वादीगण उसकी और से उसके साथ साझे पर काश्त करते थे। [illegible] दिनांक 3.3.1970 को पंजीकृत विकय पत्र के द्वारा वादीगण को उक्त पर खातेदारी अधिकार मिले है। उक्त भूमि [illegible] वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

का कब्जा जुलाई 1975 तक रहा है। दिनांक 11.7.75 को प्रतिवादी न0 3 ता 9 ने स्वयं को प्रतिवादी न0 2 का प्रतिनिधी बताते हुए प्रार्थना संख्या 11/75 के जाप्ता फौजदारी की धारा 146 के तहत कुर्क करवा लिया। और भूमि पर रिसीवर तहसीलदार का कब्जा है। न्यायालय ने दिनांक 6.12.1976 को पक्षकारो को आदेश दिया कि पक्षकार को अपने अधिकार सक्षम न्यायालय मे तय कराने चाहिए और भूमि प्रतिवादी नं0 1 तहसीलदार के कब्जे मे है। उक्त भूमि जो तहसीलदार के कब्जे मे है उसकी निलामी से प्राप्त आय को वादी को दिलाई जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 की और से कोई उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अपीलाट/वादी ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से पूर्व रूप से साबित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य को अनदेखा किया है। अपीलांट/वादीगण ने विवाधक संख्या 1 ता 4 को अपनी दस्तावेजी साक्ष्य बयनामा प्रदर्श 1 आदेश 146 सीआरपीसी प्रदर्श 2 एवं मौखिक साक्ष्य मे वादी कलुआ व गवाह के बयान कराये है। जिससे विवादित भूमि वादी कलुआ की खरीद शुदा खातेदारी व कब्जे की होना व भूमि मंदिर माफी की खुदकाश्त नही होना बखूबी साबित है। उक्त भूमि जागीर रिजम्शन होने के बाद रजिस्ट्री हुई है जो कानूनी तौर पर सही है। प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे कोई साक्ष्य पेश नही किये है। जिससे आराजीयात मंदिर की साबित हो सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवाधक संख्या 3,4 व 9 ता 11 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय किये है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी खारिज करके कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 9.4.18 को हुई। इससे पूर्व अपीलांट को जैर अपील निर्णय की जानकारी वादी कलुआ के मरने के बाद अपीलांट संख्या 2 सरमी ही करता है जो मजदूरी करने बाहर चला गया था। वहॉ से मजदूरी करके वापिस गांव दिनांक 7.4.18 को आया तब प्रकरण की कार्यवाही की जानकारी करने पर आया कि दावा दिनांक 29.8.17 को खारिज हो चुका है। इस कारण अपील बिलम्ब से पेश की गई है। अपील पेश करने मे हुई देरी क्षमा योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जाकर अपीलाट को विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 1 से कब्जा दिलाया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आया कि आराजी ख0न0 1213, 1214, 1214/1458 वाके ग्राम ग्राम करसाई तहसील करौली मे स्थित है। अपीलांट के कथन अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

विवादित आराजीयात पर अपीलांट/वादीगण स्वयं साबिक खातेदार के साझे मे बटाई पर सम्वत 2010 से काश्त करते चले आ रहे है। भूमि का जगन्नाथ गिरी चैला भगवान गिरी खातेदार था। अपीलांट/वादीगण उसकी और से उसके साथ साझे पर काश्त करते थे। दिनांक 20.1.1970 को तहरीरी व दिनांक 3.3.1970 को पंजीकृत विकय पत्र के द्वारा वादीगण को उक्त पर खातेदारी अधिकार मिले है। उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा जुलाई 1975 तक रहा है। दिनांक 11.7.75 को प्रतिवादी न0 3 ता 9 ने स्वयं को प्रतिवादी न0 2 का प्रतिनिधी बताते हुए प्रार्थना संख्या 11/75 के जाप्ता फौजदारी की धारा 146 के तहत कुर्क करवा लिया। और भूमि पर रिसीवर तहसीलदार का कब्जा है। न्यायालय ने दिनांक 6.12.1976 को पक्षकारो को आदेश दिया कि पक्षकार को अपने अधिकार सक्षम न्यायालय मे तय कराने चाहिए और भूमि प्रतिवादी नं0 1 तहसीलदार के कब्जे मे है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 2 ता 9 द्वारा जबाब पेश किया गया। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 5.6.17 को राजस्व लोक अदालत केम्प करसाई मे पेश होना एवं उभयपक्ष द्वारा उपस्थित नही होने से दिनांक 6.7.17 नियत की गई। इसके पश्चात किसी प्रकार की कोई तारीख पेशी का उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही है। दिनांक 29.8.17 को पत्रावली पेण्डिग से पेश होना एवं वादी का उपस्थित होना बताया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने का अंकन है। विवादित आराजीयात ख0न0 1213 व 1214/1258 के बाबत तहसीलदार करौली रिसीवर नियुक्त है। विवादित भूमि तहसीलदार करौली के कब्जे मे है। विवादित भूमि को दिनांक 3.3.1970 को पंजीकृत विकय पत्र के द्वारा वादीगण नें उक्त भूमि को कय किया है जो उप पंजीयक करौली द्वारा दिनांक 3.3.1970 को पंजीवद्व किया गया है। जो बयनामा पंजीवद्व हुआ है वह उप जिलाधीश करौली के निर्णय दिनांक 23.7.77 के द्वारा बेअसर कर दिया गया है। जिसकी अपील करने संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा हो इस प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली मे उपलब्ध नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गई है। जिसके बिलम्व के संबध मे कोई उचित कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे अंकित नही किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने एवं बयनामा दिनांक 23.7.77 को बेअसर हो जाने तथा कब्जे सिद्व करने के अभाव मे खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट धारा 5 मियाद अधिनियम से बाधित होने तथा सारहीन एवं भारहीन होने से` खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 470/08 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 29.8.17 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:23 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner